न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान महेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 345/2025
निर्णय दिनांक 27/08/2025

महेन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मनगर तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 148 खसरा सं. 1030/166 तादादी 2.3520 हैक्ट. में प्रार्थी के पिता का नाम रूघवीर है जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम रघुवीर प्रसाद है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रूघवीर के स्थान पर रघुवीर प्रसाद अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक भू.अ./2025/1300 दिनांक 07.07.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के रोही ब्रह्मनगर की जमाबंदी खाता सं. 148 एवं अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रूघवीर की बजाय रघुवीर प्रसाद सही नाम है। अतः ग्राम ब्रह्मनगर की उक्त जमाबंदी खाता संख्या 148 में प्रार्थी के पिता का नाम रूघवीर की बजाय रघुवीर प्रसाद नाम किया जाना उचित है

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम रूघवीर व रघुवीर प्रसाद दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रघुवीर प्रसाद पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रूघवीर अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 148 खसरा सं. 1030/166 तादादी 2.3520 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम रूघवीर **Delete** कर इसके स्थान पर रघुवीर प्रसाद अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)